

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27 (258) ग्राविवि/ग्रुप-5/पीएमएवाइ/जीकेएन/प्रशा.अनु.समिति/2015-16

जयपुर, दि. 29/08.2017

--: **बैठक कार्यवाही विवरण** ::--

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायती महोदय की अध्यक्षता में विभागीय प्रशासनिक अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.08.2017 को आहुत की गई है, जिसमें परिशिष्ट-1 पर वर्णित अधिकारियों ने भाग लिया।


बैठक में एजेण्डा बिन्दुवार "गाँवों में श्रमिकों का नियोजन कर साफ-सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर/दर विश्लेषण के निर्धारण करने के क्रम में कराई गई वर्क टाइम मॉशन स्टेडी रिपोर्ट" एवं प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है:-

- 6 सम्भाग स्तरीय जिलों (अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर) द्वारा गाँवों में श्रमिकों का नियोजन कर साफ-सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर/दर विश्लेषण के निर्धारण करने के क्रम में कराई गई वर्क टाइम मॉशन स्टेडी रिपोर्ट में औसतन रोड सफाई का क्षेत्रफल 326 वर्गमीटर प्रतिघण्टा प्रति श्रमिक के आधार पर आईटमवार श्रमिक आवश्यक एवं तदनुसार अपेक्षित दरों की समीक्षा कर आईटमवार निम्नानुसार न्यूनतम दरों (अधिकतम टास्क) का अनुमोदन किया गया है :-

Item	Task	Number of person
Collection of wastes from house holds	एक श्रमिक द्वारा एक घंटे का कार्य	45 Households for per hours
Segregation of wastes	एक श्रमिक द्वारा एक घंटे का कार्य	202 kg per hour
Activities like street/lanes sweeping, drain cleaning and street cleaning	एक श्रमिक द्वारा एक घंटे का कार्य	316 kg per hour
Dumping of the wastes to the compost pits and composting	एक श्रमिक द्वारा एक घंटे का कार्य	190 kg per hour by cycl riksha/trolli


एक दिन में आठ घंटे का कार्य समय (जिसमें एक घंटे का रेस्ट) मानते हुए उपरोक्तानुसार एक श्रमिक द्वारा आबादी क्षेत्र में कम से कम 2200 वर्गमीटर सडक/रास्ता क्षेत्रफल की सफाई करेगा एवं इस क्षेत्रफल में आने वाले घरों का कचरा एकत्रित कर, नाली की सफाई एवं एकत्रित कचरे को निर्धारित स्थल पर लेकर जाना एवं पृथकीकरण करेगा। उक्तानुसार चार गतिविधियों के सम्पादन हेतु प्रतिदिन के आधार पर एक कार्य/आईटम के विस्तृत मापदण्ड निर्धारित किया जाकर बीएसआर में आईटम सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


(के. के. शर्मा) 29/8/17
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
- 6 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग, राजस्थान।
- 7 संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास विभाग।
- 8 वित्तीय सलाहकार, ग्रावि/पंरावि/महात्मा गांधी नरेगा/जलग्रहण विकास विभाग।
- 9 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), ग्रावि को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग
- 12 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
- 13 अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), जिला परिषद समस्त।
- 14 रक्षित पत्रावली।


29/8/17
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि महोदय की अध्यक्षता में विभागीय प्रशासनिक अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.08.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूची :-

क्र.स.	नाम अधिकारी
1	श्री रोहित कुमार, शासन सचिव, ग्रावि/महात्मा गांधी नरेगा
2	श्री सिरमौर मीणा, वित्तीय सलाहकार, ग्रावि
3	श्री राधेश्याम मीणा, वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा
4	श्री अपूर्व जोशी, वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग
5	श्री के.के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास
6	श्री अरुण सुराण, अधीक्षण अभियंता (ईजीएस), महात्मा गांधी नरेगा
7	श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियंता(प्रो.), पंचायती राज।
8	श्री पराग चौधरी, उप निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन
9	श्री बाबूलाल वर्मा, संयुक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग